

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)
कमांक 01 (3) अ-82/15-16 भू-अर्जन/9336 बैतूल दिनांक 24 अक्टूबर 2015
ईशतहार 28

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा बघोली लघु परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम बघोली बुजुर्ग प0ह0न0 50 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है :-

अ0क0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक द्वारा कय जाने हे0 में	विभाग कय किया वाला रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4	5	
1	22	0.733	0.460		महादेव, दौलत व0 बालकृष्णा तथा अन्य
2	23/1	1.783	0.860		चन्द्रभागा बेवा रामराव तथा अन्य
3	24/6	0.140	0.140		तुरसी जौजे महादेव
4	23/2	0.134	0.134		श्यामराव पिता रामराव कुन्बी,
	23/8	0.826	0.030		---
5	23/3	0.158	0.158		उमराव व0 रामराव,
6	23/4	0.109	0.053		गेंदराव व0 रामराव
7	23/5	0.109	0.030		गोविंदराव व0 रामराव कुन्बी,
8	24/1	1.910	0.840		रामराव व0 मिटठु तथा अन्य
योग		5.902	2.705		समस्त निवासी बघोलीबुजुर्ग तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0)

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम बघोली बुजुर्ग तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों की कुल 2,705 हे0 भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कलेक्टर/अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24-10-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।



24.10.15

(जगदीश्वर बी0 पाटील)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 01(3) अ-82/वर्ष 15-16/भू-अर्जन 9336 बैतूल दिनांक ²⁴ अक्टूबर 2015
प्रतिलिपि:- _{३३.}

1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बघोलीबुजुर्ग तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल